



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-483

New Delhi: 25.06.2021

Sh. Lal Singh Beniwal, Advocate
Delhi

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your RTI Application dated 16.06.2021 (Registration No. DFCCCL/R/T/21/00045) transferred from Ministry of Railways and received through DOPT.

Information pertaining to DFCCIL and as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 01 sheet

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

डीएफसीसी/नोएडा / एचआर/आरटीआई/16/1/4794

दिनांक 24-06-2021

सेवा में,

पीआईओ/ डीएफसीसीआईएल

आरटीआई सेल, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय,

नई दिल्ली - 110001

विषय :- आरटीआई अधिनियम - 2005 के तहत जानकारी प्रदान करना ।

संदर्भ :- आर.टी.आई. आवेदन - श्री लाल सिंह बैनीवाल, नई दिल्ली, दिनांक - 16-06-2021

विषय वस्तु के संदर्भ में जबाब निम्नलिखित है:-

उपरोक्त आरटीआई-482 एवं 483 के माध्यम से जानकारी श्री लाल सिंह बैनीवाल, एडवोकेट, पटियाला हाऊस कोर्टस, नई दिल्ली द्वारा उनके मुक्किल श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा, मोहन गार्डन, दिल्ली जिन को आरटीआई में मैं किशोर एक्सपोर्ट्स इंडिया लि० लक्ष्मी नगर दिल्ली का अधिग्रहित प्रतिनिधि बताया गया है, के लिए मॉगी गई है। परन्तु उपरोक्त आरटीआई के साथ प्रार्थी द्वारा श्री मुकेश शर्मा का कोई Power of Attorney/अधिकार पत्र सलग्न नहीं किया गया है। जोकि किशोर एक्सपोर्ट ने जारी की हो।

श्री लाल सिंह एडवोकेट जो उपरोक्त आरटीआई के तहत जानकारी मॉग रहे हैं उन का भी कोई अधिकार पत्र सलग्न नहीं किया गया है।

क्योंकि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा जमीन खसरा नं० 1044 में मैं किशोर एक्सपोर्ट से ली गई है एवं अब यह प्रकरण Supreme Court में विचारधीन है । अतः उपयुक्त Power of Attorney/ अधिकार पत्र के अभाव में वांछित सूचना आरटीआई एक्ट - 2005 की धारा 8(i)(j) के तहत नहीं दी जा सकती है।

सतेन्द्र कुमार 24/6/21
(सतेन्द्र कुमार)

उप परियोजना प्रबंधक/विधुत / नोएडा